

नियम 79 : शपथपत्र का प्रारूप और विषय—वस्तु

शपथपत्र सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश 19, नियम 3 की अपेक्षाओं के अनुरूप होगा।
